**संख्या-106/3307जेएल/22-3-14-800(212)/2013**

**प्रेषक,**

**आर0के0 द्विवेदी,**
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**जिला मजिस्ट्रेट,**
कानपुर नगर।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3*** ***लखनऊ: दिनांक: 29 दिसम्बर, 2014***

**विषय-** केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ के बंदी शिव सनेही त्रिपाठी पुत्र स्व0 अयोध्या प्रसाद, निवासी ग्राम-शिरोमणिपुर, थाना-घाटमपुर, जिला-कानपुर नगर को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ के बंदी शिव सनेही त्रिपाठी पुत्र स्व0 अयोध्या प्रसाद, निवासी ग्राम-शिरोमणिपुर, थाना-घाटमपुर, जिला-कानपुर नगर को शासनादेश संख्या-51/2474जेएल/22-3-14-800(212)/2013, दिनांक 21-10-2014 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

**भवदीय,**

**(आर0के0 द्विवेदी)**
**उप सचिव।**

**संख्या-106/3307जेएल(1)/22-3-14-उक्तदिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
4- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(आर0के0 द्विवेदी)**
**उप सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in